न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
59 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	28.08.2017	17.08.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.......प्रार्थी

बनाम

1–श्री सूरज साहू पुत्र श्री भागचन्द साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स सांवरिया मिष्ठान भण्डार एण्ड ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड के बाहर मालपुरा जिला टोंक निवासी दूदू रोड शिव कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक
2–मैसर्स सांवरिया मिष्ठान भण्डार एण्ड ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड के बाहर मालपुरा जिला टोंक
3–श्री दिनेश कुमावत प्रोपरायटर मैसर्स न्यू भारत आईसक्रीम फैक्ट्री गौरस भण्डार के सामने कूकरखेडा, महापुरा, रोड नं. 1, वीकेआई एरिया जयपुर राज. निवासी गौरस भण्डार के सामने, मुरलीपुरा स्कीम रोड नं. 1, सीकर रोड जयपुर राज.
4–मैसर्स न्यू भारत आईसक्रीम फैक्ट्री गौरस भण्डार के सामने कूकरखेडा, महापुरा, रोड नं. 1, वीकेआई एरिया जयपुर राज.

.... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित ।

:–<u>निर्णय</u>–: **दिनांक 17.08.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.05.2017 को समय 04:38 पीएम पर मैसर्स सांवरिया मिष्ठान भण्डार एण्ड ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड के बाहर मालपुरा जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री सूरज साहू पुत्र श्री भागचन्द साहू मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगने पर श्री सूरज साहू ने खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ–साथ **फ्रोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट मेरी गोल्ड मैंगो गोल्ड (Frozen Desert Medium Fat Marie Gold Mango Gold)** अलग–अलग सील्ड पॉली पैक 2–2 किलोग्राम के 5 नग दुकान में फ्रीजर में रखे हुए थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सूरज साहू को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ. बी.ओ श्री सूरज साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **फ्रोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट मेरी गोल्ड मैंगो गोल्ड (Frozen Desert Medium Fat Marie Gold**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Mango Gold) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1200 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1200 ग्राम **फोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट मेरी गोल्ड मैंगो गोल्ड (Frozen Desert Medium Fat Marie Gold Mango Gold)** जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैंकिंग की दिनांक 02.02.2017 थी, के 300–300 ग्राम को अलग–अलग चार साफ व सूखे कांच के चौडे मुंह के जार में भरा एवं प्रत्येक जार में 24–24 बूंदें डालकर प्रत्येक जार को एयरटाईट बन्द कर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1633 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1633 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री सूरज साहू ने बतौर वारन्टी मैसर्स न्यू भारत आईसक्रीम फैक्ट्री गौरस भण्डार के सामने कूकरखेडा, महापुरा, रोड नं. 1, वीकेआई एरिया जयपुर राज. का वारंटी बिल पेश कर उपरोक्त आईसक्रीम क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

वारन्टी होने के कारण आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स न्यू भारत आईसक्रीम फैक्ट्री गौरस भण्डार के सामने कूकरखेडा, महापुरा, रोड नं. 1, वीकेआई एरिया जयपुर राज.को सूचना एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति डाक द्वारा भेजी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/1946 दिनांक 28.06.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./378/एक्ट /2017/377 दिनांक 07.06.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **फोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट मेरी गोल्ड मैंगो गोल्ड (Frozen Desert Medium Fat Marie Gold Mango Gold)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.11.2017 को अप्रार्थीगण की ओर से श्री प्रमोद शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया तथा शेष अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया और ना ही अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए एवं दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 ने मैसर्स न्यू भारत आईसक्रीम फैक्ट्री गौरस भण्डार के सामने कूकरखेडा, महापुरा, रोड नं. 1, वीकेआई एरिया जयपुर राज. से उक्त आईसक्रीम पैक्ड अवस्था में क्रय की थी एवं पैक्ड अवस्था में ही विक्रय हेतु प्रतिष्ठान पर रखी थी। इसमें अप्रार्थी सं. 1 ने कोई अपराध नहीं किया हैं तथा मौके पर ही अप्रार्थी ने उक्त फर्म का बिल पेश कर दिया था अतः अप्रार्थी सं. 1 को अपराध से मुक्ति प्रदान की जावें तथा प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जावें। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **फ्रोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट मेरी गोल्ड मैंगो गोल्ड (Frozen Desert Medium Fat Marie Gold Mango Gold)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **फ्रोजर्न डेजर्ट मीडियम फैट मेरी गोल्ड मैंगो गोल्ड (Frozen Desert Medium Fat Marie Gold Mango Gold)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 17.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक